क्र. 5052 मूल्य : 50 रुपये

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत
पुनः आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु)

1526/2017

यह पट्टा आज दिनांक .... सन् 200 .... को एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कह कर सम्बोधित किया गया है। और द्वितीय पक्षकार श्री/श्रीमती [illegible] पुत्र/पत्नी [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] (जिनकों इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होगें) के बीच लिखा गया है ।

इस बात का साक्षी है कि रुपये .... अक्षरे [illegible] रुपये मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है । (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो .... योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, आरक्षणों, प्रतिबन्धों, शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-
शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है । लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी ।

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है । लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी ।
2. (अ) 10 वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा करवाने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। यह राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2)न.वि.वि.23/99दिनांक15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि .... रूपये की 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगी ।

   (ब) एक मुश्त लीज राशि जमा न करवाने पर पट्टेदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में आरक्षित दर से गणना की गई भूखण्ड की कुल कीमत की 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी । 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट भी देय होगी ।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोतर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जावेगी ।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश की बकाया की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी ।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग मात्र रूपान्तरित भू उपयोग हेतु ही किया जायेगा। अन्य उपयोग जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की लिखित अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा ।
6. उक्त भूखण्ड पर निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से निर्माण स्वीकृति ले कर ही किया जा सकेगा ।

उपपंजीयक (प्रथम) जोधपुर

7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शेडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋण दात्री संस्थाओं के पास ऋण प्राप्त करने हेतु गिरवी रखने के लिए पट्टाधारक स्वतंत्र रहेगा।

8. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तातंरण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नियमों के अनुसार करवाना होगा।

9. पट्टेदार द्वारा पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लघंन किया गया तो उक्त भूखण्ड या उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

योजना का नाम : ....

प्रकरण सं. 950/08 निर्णय दिनांक 25/1/10 नामान्तरकरण सं. 366

ग्राम [illegible] खसरा नं. 550/1, 550/2, 550/3 भूखण्ड सं. [illegible] क्षेत्रफल 24974.04 वर्गगज

नाप (लम्बाई X चौड़ाई)

भूखण्ड के पड़ौस:-

उत्तर [illegible] पूर्व इसी खसरे कि शेष भूमि

दक्षिण खसरा सं 355, 549 पश्चिम [illegible] संख्या 555 व 551 की भूमि

उक्त भूमि के पट्टा विलेख के साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से आज दिनांक 20/7/10 को

श्री [illegible] सक्षम अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

प्रभारी अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	उपायुक्त (दक्षिण) सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जोधपुर	[signature] पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1- नाम [illegible]

पद [illegible]

साक्षी के हस्ताक्षर

2- नाम

पद

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1- नाम MITHUN TATIA

पिता/पति का नाम SH. G.R. TATIA

पता 102 N PH ROAD JODHPUR

साक्षी के हस्ताक्षर

2- नाम JAYANTI BISHNOI

पिता/पति का नाम HIRALAL BISHNOI

पता 47 SARDAR CLUB SCHEME RATANADA JODHPUR.

साक्षी के हस्ताक्षर

UTI TECHNOLOGY SERVICES LTD
B-13, II FLOOR,
ABHAY CHAMBER, OPP. SBBJ BANK
JALORI GATE
JODHPUR - 342 011

F.4(300)(F)(G) STAMP/FRANK(09/90

04166 SPLADH राजस्थान
115314 JUL 24 2010
14:03
Rs.0670000/-PB6873
STAMP DUTY RAJASTHAN

(वास्ते लीज डीड सलग्न स्टाम्प)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

ब ह क

हीरा रियल स्टेट एण्ड प्रोपर्टिज प्रा. लि.

सम्पत्तिः भूमि बनाप 24974.04 वर्गगज, ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 550/1, 550/2 व 550/3 में स्थित।

S. No. 4166 Date 24.7.10
Name of Purchaser Hira Real State & Prop. Pvt. Ltd.
Address Tel pal, Jodhpur
By Whom Purchased Natwar Charan
Amount 6,70,000/-

कार्यालय उप पंजीयक (प्रथम) जोधपुर (राज.)

ITE PLAN SHOWING KHASRA NO 550/1,2,3, OF VILLAGE
AL AT JODHPUR

AREA = 24974.4 SQ YDS
224769.6 SQ FT

GROUND COVERAGE AREA 35 %

FAR 1.33

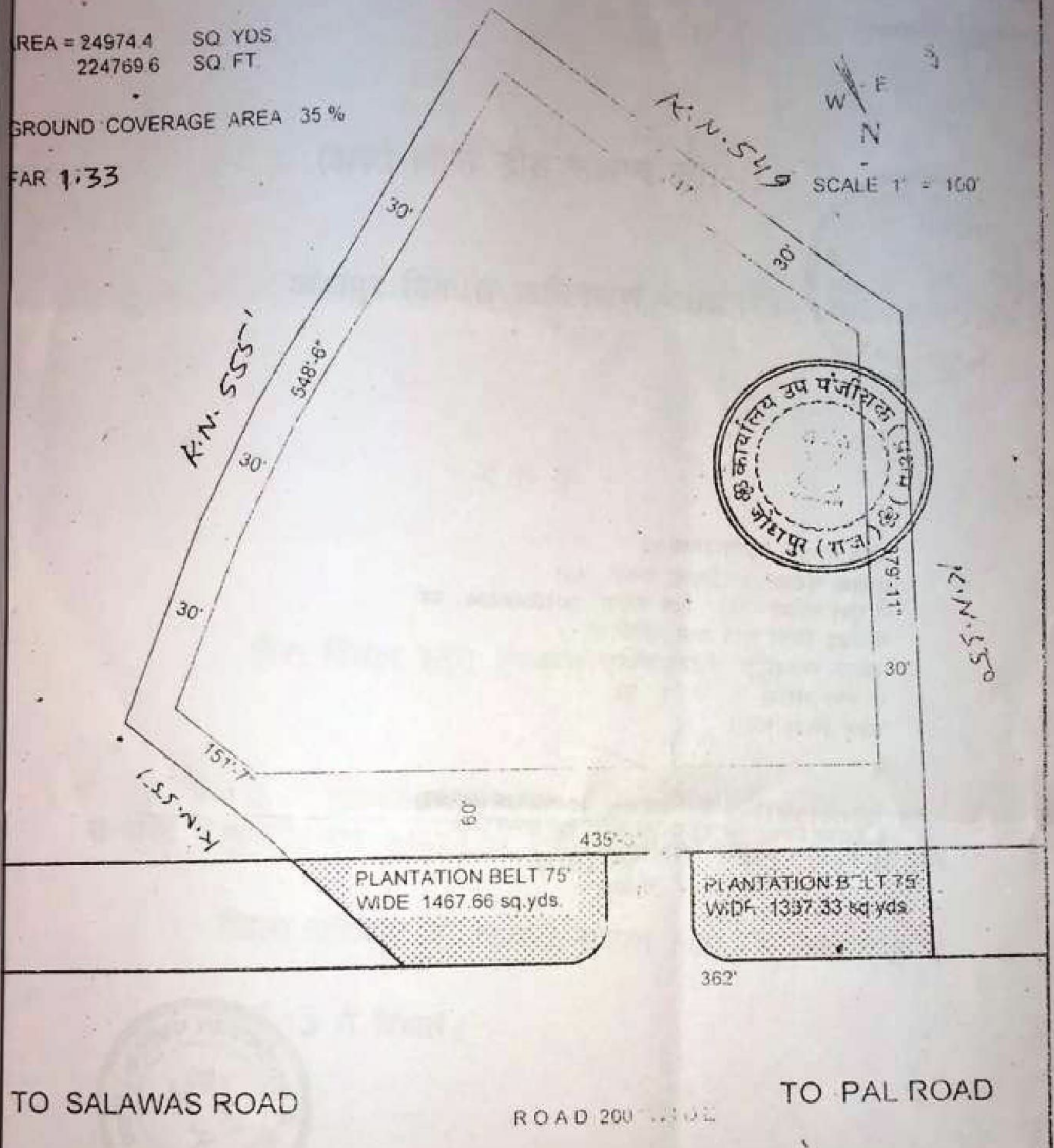

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर